कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, देवघर

फोन/फैक्स नं०-6432 - 232397, मो०-9431137795, ई-मेल : dfo.deoghar2@gmail.com

MOMENTUM JHARKHAND

पत्रांक 2389 देवघर, दिनांक 14.9.2017

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

सेवा में,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण),
पूर्व रेलवे, भागलपुर।

विषय : देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत मोहनपुर–हँसडीहा, नई बी॰जी॰ रेल लाईन निर्माण हेतु वनभूमि के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 4236 दिनांक 07.09.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित भूमि विवरणी (Land Schedule) Annexure-I एवं II के अभ्युक्ति कॉलम में अधिसूचित वनभूमि अंकित कर दिया गया है :–

अनुलग्नक–01

क्र॰ सं॰	मौजा	थाना / थाना नं०	जे॰बी॰ नं०	प्लॉट नं०	अधिग्रहण क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि किस्म (खतियान)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घुठियादोन्दिया	देवघर–877	44	321	0.123	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
2	घुठियादोन्दिया	देवघर–877	43	800	0.657	जंगल साखू	अधिसूचित वनभूमि
3	घुठियादोन्दिया	देवघर–877	44	801	4.752	जंगल साखू	अधिसूचित वनभूमि
4	खपचुआ नावाकुर्वा	देवघर–875	18	761	0.832	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
5	अराजी बुतरूआडीह	देवघर–801	13	46	0.282	जंगल	जंगल
6	नावाकुर्वा	देवघर–889	37	286	0.557	जंगल झाड़ी	अधिसूचित वनभूमि
7	रामपुर	देवघर–892	38	1	4.246	जंगल साखू	अधिसूचित वनभूमि
8	रामपुर	देवघर–892	38	67	1.322	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
9	रामपुर	देवघर–892	38	85	1.164	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
10	रामपुर	देवघर–892	38	161	0.119	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
11	रामपुर	देवघर–892	38	94	0.202	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
12	रामपुर	देवघर–892	38	106	1.012	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी
13	रामपुर	देवघर–892	38	121	0.343	जंगल झाड़ी	जंगल झाड़ी

अनुलग्नक–02

क्र॰ सं॰	मौजा	थाना / थाना नं०	जे॰बी॰ नं०	प्लॉट नं०	अधिग्रहण क्षेत्र (एकड़ में)	भूमि किस्म (खतियान)	अभ्युक्ति
1	अराजी रामसागर	देवघर–803	11	7	0.061	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
2	अराजी बुतरूआडीह	देवघर–801	13	117, 153	0.106	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
3	बुतरूआडीह	देवघर–800	29	186, 202	0.596	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
4	कनियारी पोखर	देवघर–865	18	33, 64	0.463	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
5	सिंहरायडीह	देवघर–804	16	70, 73	0.061	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
6	छाताकुरूम	देवघर–812	17	72, 78, 81, 82, 83, 84, 102, 122	1.186	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
7	बरसातीघाट	देवघर–805	15	45, 64	0.788	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
8	चन्दयन	देवघर–806	20	16,17,24, 37, 97,109	3.769	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
9	चिहूटियां	देवघर–866	23, 1	199,363, 373,402, 424, 364, 365	1.009	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
10	भगवानपुर	देवघर–864	34	277, 370, 561, 697, 741, 745, 748, 851, 1018, 1026	4.783	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
11	खरीयाडीह	देवघर–797	26	204, 355, 379	0.228	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
12	खपचुआ नावाकुर्वा	देवघर–875	18	563, 564, 634, 648, 657, 669, 720, 727, 733, 734, 769, 771	4.038	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
13	हिंडोलावरण	देवघर–811	41	318, 320	0.413	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
14	घुठियादोन्दिया	देवघर–877	44	130, 230, 322, 575	1.46	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
15	बुढ़वाकुरा	देवघर–888	42	978, 1009, 1096, 1174, 1159, 1155	1.564	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
16	नागपुर	देवघर–893	33	7	0.302	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
17	रामपुर	देवघर–892	38	20, 87	0.398	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है
18	नावाकुर्वा	देवघर–889	7	364, 369, 406, 503, 594	1.61	–	अधिसूचित वनभूमि नहीं है

यहाँ यह स्पष्ट करना है कि प्रस्तावित रेलवे लाईन में पड़ने वाले प्रत्येक प्लॉट के भूमि यथा रैयती / गैरमजरूआ / जंगल झाड़ी / जंगल एवं वनभूमि की भूमि विवरणी (Land Schedule) अलग–अलग तैयार कर समर्पित किया जाय तथा भूमि किस्म की पहचान हेतु प्रत्येक खेसरा (Plot no.) के खतियान की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

अनुरोध है कि सभी वांछित अभिलेखों के साथ प्रस्ताव तैयार कर ऑन लाईन समर्पित किया जाए तथा प्रस्ताव 10 (दस) प्रतियों (हार्ड कॉपी) में सभी वांछित अभिलेखों के साथ इस कार्यालय में समर्पित किया जाए (सुलभ संकेत हेतु चेक लिस्ट की छायाप्रति संलग्न), ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/09/17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमण्डल, देवघर

वनभूमि के अपयोजन प्रस्तावों के साथ अनिवार्य अभिलेखों की चेक सूची :-

1. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में हो तथा कंडिकाओं में स्पष्ट प्रविष्टियां अंकित हो।

2. सर्वे ऑफ इण्डिया के मूल 1,50,000 स्केल के टोपो शीट पर लोकेशन मैप, जिसमें विभिन्न अपयोजन, प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि एक से ज्यादा टोपो शीट में पड़ती हो तो वैसे सभी टोपो शीट पर उपर अंकित तरीके से अपयोजन टोपो शीट में दर्शाया गया हो।

3. अपयोजन प्रस्ताव संबंधी योजना की लागत की विस्तृत चर्चा एवं ब्योरे दर्शित कर संलग्न हो।

4. अपयोजन प्रस्ताव में वनभूमि के अपयोजन की अनिवार्य होने के कारण विस्तृत रूप से चर्चित हो।

5. अपयोजन प्रस्ताव संबंधी योजना का लागत लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis) संलग्न हो।

6. अपयोजन प्रस्ताव में योजना/परियोजना को लागू करने से कितने मानव दिवस सृजित होंगे, इसकी पूर्ण चर्चा हो।

7. अपयोजन प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली भूमि के पूर्ण आंकड़े स्पष्ट रूप से अंकित हो, जिसमें गैर वनभूमि (गैरमजरूआ–जंगल–झाड़ी/गैरमजरूआ बिहार सरकार अनाबाद/रैयती या कोई अन्य) के संबंध में अलग–अलग ब्योरा स्पष्टतः दिया गया हो। इसी तरह अपयोजन प्रस्ताव में वनभूमि अपयोजन संबंधी स्पष्ट आंकड़े जिनमें वनभूमि किस तरह से अपयोजित की जायेगी के अलग–अलग आंकड़े स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए (उदाहरण स्वरूप डैम हेतु 70.50 हे॰ कनाल हेतु 2.50 हे॰ इत्यादि। यदि अपयोजन प्रस्ताव में वनभूमि के साथ–साथ गैर वनभूमि, जो भू–राजस्व विभाग के क्षेत्राध्किार में पड़ती का अपयोजन प्रस्तावित हो तो इस संबंध में संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उक्त भूमि अपयोजन के लिए उपलब्ध करा दी जायेगी।

8. अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित योजना/परियोजना से यदि आम नागरिक विस्थापित हो जाए, तो तत्संबंधी पूर्ण आंकड़े एवं विस्थापित होने वाली आबादी की पूर्ण पुर्नवास योजना, वार्षिक कार्यक्रम के साथ संलग्न होनी चाहिए।

9. यदि अपयोजन प्रस्ताव में इनवायरमेंटर (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार की सहमति वांछनीय हो तो उसे संलग्न किया जाए।

10. अपयोजनकर्त्ता द्वारा इस आशय का बाध्यता पत्र कि वे "एन॰पी॰वी॰ क्षतिपूरक वनरोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, वन पुर्नजनन एवं अन्य सभी खर्च जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे मांग किये जाने पर तत्पर्ता से जमा कर देंगे।

11. यदि अपयोजन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि उपलब्ध करानी है तो उक्त गैर वनभूमि के पूरे ब्यौरे इस अनुशंसा के साथ जो अपयोजनकर्त्ता ने वन विभाग के वन प्रमंडल

पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करायी हो कि "गैर वनभूमि, क्षतिपूरक वनरोपण के लिए करायी जायेगी, एवं दाखिल खारिज कराया जाएगा।" इस संबंध में भू–राजस्व विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र भी संलग्न हो।

12. यदि प्रस्ताव में वनभूमि को रिक्लेम करने की आवश्यकता हो तो पूर्ण रिक्लेमेशन प्लान संलग्न हो, जिसमें वार्षिक एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाये जाए।

13. यदि अपयोजन प्रस्ताव में सेफ्टी जोन की आवश्यकता हो तो इस संबंध में मूल टोपो शीट पर 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एवं अंतर्गत वनभूमि के रकवा की गणना उपलब्ध होना चाहिए।

14. अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में ग्राम पंचायत की आम सभा / स्थानीय निकाय की स्पष्ट अनुशंसा सहित रिज्यूलूशन की प्रति संलग्न हो।

15. प्रस्ताव के साथ स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वनरोपण योजना संलग्न हो। यह योजना तभी बनायी जायेगी जब भूमि की शनाख्त अपयोजनकर्त्ता द्वारा कराकर, सीमा स्तम्भ लगाकर, वन प्रमंडल पदाधिकारी / वन संरक्षक ऐसी प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र दें।

16. जिला एवं राज्य से संबंधित मूल–भूत सूचनाएं संलग्न हो।

17. 5.00 हे0 से अधिक वनभूमि अपयोजन वाली परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) तथा Environmental Impact Assessment Report) संलग्न हो।

18. नई परियोजना हेतु प्रयोक्ता संस्थान का ब्रीफ प्राफाईल (Brief Profile) तथा वनभूमि अपयोजन की आवश्यकता के औचित्य से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न हो।

19. प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची।

20. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के वन्य प्राणी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की स्थिति में मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक की अनुशंसा एवं मन्तव्य संलग्न होना अनिवार्य है।

21. यदि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी आश्रयणी का हिस्सा है तो इसके गैर वानिकी कार्य हेतु अपयोजन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वानुमति होना अनिवार्य है।

22. प्रस्तावित वनभूमि रक्षा मंत्रालय की परियोजना के निकट हो तो रक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमति आवश्यक होगी।

——x——